(141)

न्यायालय श्री मान राजस्व मण्डल म0प्र ग्वालियर बेंच रीवा

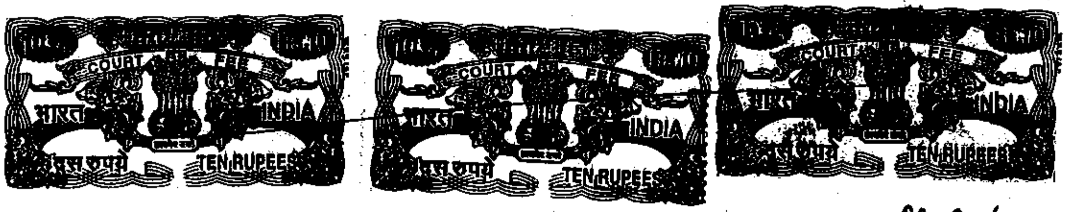

M.5218 III/16

Rs. 30/-

श्रीमती सरोज श्रीवास्तव पत्नी अभय कुमार श्रीवास्तव झझरा कांलोनी बोदा बाग रोड रीवा जिला रीवा म0प्र0 —— आवेदिका

बनाम

1— कामता प्रसाद द्विवेदी तनय श्री रामसजीवन द्विवेदी ग्राम रूपौली तह0 त्योंथर जिला रीवा म0प्र0

2— शासन म0प्र0 द्वारा जिलाध्यक्ष रीवा —— अनावेदकगण

संतोष श्रीवास्तव द्वारा आज दिनांक 11-5-16 प्रस्तुत किया गया। रीडर सर्किट कोर्ट रीवा

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 29 सहपठित धारा 32म0प्र0भू—राजस्व संहिता 1959ई0

आवेदन पत्र के आधार निम्न है:—

1— श्रीमती सरोज श्रीवास्तव आवेदिका ने माननीय राजस्व मण्डल में पुनरीक्षण आवेदन क0 3350—तीन—14, पुनरीक्षण प्रकरण कमांक — 3358—3/14 एवं पुनरीक्षण कमांक 3757—3/14 प्रस्तुत किया था जिसको माननीय राजस्व मण्डल द्वारा 2/3/16 को स्वीकार कर प्रकरण को प्रत्यावर्तित इस निर्देश के साथ किया कि माननीय तहसीलदार जवा उन प्रकरणों को माननीय राजस्व मण्डल के आदेशानुसार पुनः जांच करें ।

2— पूर्व में तहसील त्योंथर से उसको बिभिक्त कर पूर्वी भाग को तहसील त्योंथर बनाया गया है एवं पश्चिमी भाग को नवीन तहसील जवा बनाकर उसके क्षेत्र में लाया गया है। इस प्रकार तहसील जवा पूर्व में तहसील त्योंथर ही थी । चूंकि अनावेदक कामता प्रसाद तहसील त्योंथर का रहने वाला है। इससे उसके लिए उक्त स्थान अर्थात तहसील जवा अति सुविधा जनक है।

3— चूंकि प्रकरण तहसील जवा जिला रीवा को प्रत्यावर्तित किये गये हैं एवं आवेदिका नगर रीवा मे रहती है व तहसील हुजूर के प्रकरण हैं अन्यथा भी जवा तहसील तराई अंचल (डकैती क्षेत्र) में है तथा दुरस्थ स्थान है जहां से आवागमन के साधन बेहद कम है एवं विदित हुआ कि अन्तिम बस जवा

सरोज श्रीवास्तव

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण क्रमांक 5218–दो/16 विविध — जिला रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15-09-17	तत्का.सदस्य राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 3350–तीन/2014 निगरानी, प्रकरण कमांक 3358–तीन/2014 निगरानी , प्रकरण कमांक 3757–तीन/2014 निगरानी में पारित आदेश दिनॉक 2–3–16 के परिप्रेक्ष्य में यह विविध आवेदन प्रस्तुत मांग की गई है कि इस आदेश से तहसीलदार जवा को पुनः जॉच के आदेश दिये गये हैं। तहसील जवां नई तहसील है जो पूर्व में त्योंथर थी। अनावेदक त्योंथर का वासिन्दा है जबकि आवेदिका रीवा नगर में रहती है । जवां अचलीय क्षेत्र है जहां आवेदिका आ जा नहीं सकती है इसलिये सुविधार्थ तहसील जवा के स्थान पर प्रकरण अन्य तहसीलदार मउगंज, गुढ, अथवा रायपुर कर्चुलिया को जांच के निर्देश दिये जावें। 2/ आवेदक व्दारा की गई मांग एंव तत्का.सदस्य राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर के आदेश दिनॉक 2–3–16 के अवलोकन से परिलक्षित है कि आदेश दिनांक 2–3–16 परिपूर्ण आदेश है क्योंकि वादित भूमि जिस तहसील में स्थित है, जांच एंव सुनवाई उसी तहसील में करने में आसानी रहेगी, जिसके कारण आदेश दिनांक 2–3–16 में दखलन्दाजी करते हुये प्रथक से जांच के आदेश देना उचित नहीं है। आवेदक का आवेदन सारहीन होने से अमान्य किया जाता है। सदस्य	